न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वैशाली
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–286 / 2026

प्रियंका उर्फ प्रियंका कुमारी बनाम् बिहार सरकार

महुआ थाना कांड सं0–12 / 2026

अधीन धारा–126(2), 115(2), 76, 109, 303(2), 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

Web Copy not Official

30.03.2026 महुआ थाना कांड सं0–12 / 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 76, 109, 303(2), 352, 351(2), 3(5) में गिरफ्तारी की आशंका से आवेदकगण **प्रियंका उर्फ प्रियंका कुमारी उम्र–19 वर्ष पति–सत्येन्द्र राय, दिलीप कुमार उम्र–21 वर्ष पेसर–भूषण राय, सतीश राय उम्र–31 वर्ष पेसर–सत्येन्द्र राय, बबीता कुमारी उर्फ सबिता कुमारी उम्र–25 वर्ष पति–चन्द्रद्वीप राय एवं सत्येन्द्र राय उर्फ सत्येन्द्र कुमार उम्र–36 वर्ष पेसर–चन्द्रद्वीप राय** सभी साकिन–परमानंदपुर चकदार उर्फ रमना, वार्ड नं0–8, थाना–महुआ जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता **श्री जय प्रकाश कुमार** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्यामबाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, दिनांक–02.01.206 को सूचिका अपने घर में अकेली थी कि समय 05.00 बजे संध्या में कुहासा का फायदा देखकर मौके पर सत्येन्द्र राय, सतीश राय एवं दिलीप राय उसके घर में घुस गये और गाली–गलौज करते हुए सत्येन्द्र राय ब्लाउज में हाथ डाल दिया और बुरी बात कर उसका लज्जा भंग करने लगा और साड़ी खिंच लिया तथा फाड़ दिया। सूचिका के हल्ला करने पर सत्येन्द्र राय लाहे के रड से मारकर सूचिका का सर फोड़ दिया। इसी बीच सूचिका का पति अरविन्द राय आया तो उसे भी सतीश राय लाहे के रड से मारकर उसका सर फोड़ दिया। हल्ला पर बबीता कुमारी दौड़कर आयी तो ईंटा चलाकर मारी तथा गले से सोने का चैन खींच लिया। प्रियंका देवी सूचिका के पति के साथ डंडा से मारपीट की।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण निर्दोष है तथा आरोपित कोई अपराध नहीं किया है। उसे मिथ्या रूप से इस मामला में दुश्मनी के कारण फंसाया गया है। उनका यह भी कथन है कि अभियोजन कथानक पूर्णतः मनगढ़न्त है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि यह मामला महुआ थाना कांड सं0–17 / 2025 का पलटा मुकदमा है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण के विरूद्व भारतीय न्याय संहिता की धारा–109 एवं 76 का आरोप नहीं बनता है। निवेदित है, आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वैशाली

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–286 / 2026

प्रियंका उर्फ प्रियंका कुमारी बनाम् बिहार सरकार

लगातार

30.03.2026 करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी की कंडिका 01 से 23 एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिन पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका के घर में घुसकर गाली–गलौज कर उसका लज्जा भंग कर साड़ी फाड़ देने एवं लाहे के रड से उसके सर पर मारकर उसका सर फाड़ देने एवं सूचिका के पति अरविन्द राय को लाहे के रड से मारकर उसका सर फाड़ देने, मारपीट करने एवं सोने का चैन खिंच लेने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 05, 06 एवं 07 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। लेकिन उक्त साक्षियों द्वारा सूचिका का लज्जा भंग करने एवं सोने का चैन खिंच लेने की बात का समर्थन नहीं किया गया है। साथ ही उक्त साक्षियों द्वारा यह कहा गया है कि पतंग लूटने को लेकर दोनों पक्षों के बच्चों के बीच विवाद हुआ जो घ्झर तक आ गया। कांड दैनिकी की कंडिका 18 से विदित होता है कि उक्त कांड में दोनों पक्षों के विरूद्व धारा–126 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत निरोधात्मक कारवाई की गई है। कांड दैनिकी की कंडिका 21 से विदित होता है कि दो लोगों को जख्म कारित हुई है जिसमें जख्मी फुला देवी (सूचिका) के जख्म को चिकित्सक द्वारा गंभीर प्रकृति का कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म खोपड़ी के ललाट क्षेत्र में मध्य भाग पर 7.5 सेमी x 1 सेमी x खोपड़ी की गहराई का फटा हुआ घाव और जख्मी अरविन्द राय के जख्म को चिकित्सक द्वारा गंभीर प्रकृति का कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म खोपड़ी के बाएं पार्श्विव क्षेत्र पर 7.5 सेमी x 0.5 सेमी x त्वचा की गहराई का फटा हुआ घाव पाया गया है। प्राथमिकी अनुसार आवेदकगण प्रियंका उर्फ प्रियंका कुमार, दिलीप कुमार एवं बबीता कुमारी उर्फ सबिता कुमारी पर कोई विनिर्दिष्ट आरोप नहीं है बल्कि सह अभियुक्तगण सतीश राय एवं सत्येन्द्र राय उर्फ सत्येन्द्र कुमार (आवेदकगण) पर जख्मी फुला देवी (सूचिका) एवं जख्मी अरविन्द राय को लोहे के रड से सर पर मारने का विशिष्ट आरोप है। जमानत आवेदन की कंडिका 07 एवं 13 से विदित होता है कि उभय पक्ष आपस में भाई है और दोनों के बीच भूमि और पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण प्रियंका उर्फ प्रियंका कुमारी पति–सत्येन्द्र राय, दिलीप कुमार पेसर–भूषण राय एवं बबीता कुमारी उर्फ सबिता कुमारी पति–चन्द्रद्वीप राय को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण **प्रियंका उर्फ प्रियंका कुमारी पति–सत्येन्द्र राय, दिलीप कुमार पेसर–भूषण राय एवं बबीता कुमारी उर्फ सबिता कुमारी पति–चन्द्रद्वीप राय** को 10,000 / –(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन

Web Copy not Official

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वैशाली

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–286 / 2026

प्रियंका उर्फ प्रियंका कुमारी बनाम् बिहार सरकार

लगातार

30.03.2026 बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

आवेदकगण **सतीश राय पेसर–सत्येन्द्र राय एवं सत्येन्द्र राय उर्फ सत्येन्द्र कुमार पेसर–चन्द्रद्वीप राय** पर जख्मी फुला देवी (सूचिका) एवं जख्मी अरविन्द राय को लोहे के रड से सर पर मारने का विशिष्ट आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कण्डिका 05, 06 एवं 07 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 21 से विदित होता है कि दो लोगों को जख्म कारित हुई है जिसमें जख्मी फुला देवी (सूचिका) के जख्म को चिकित्सक द्वारा गंभीर प्रकृति का कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म खोपड़ी के ललाट क्षेत्र में मध्य भाग पर 7.5 सेमी x 1 सेमी x खोपड़ी की गहराई का फटा हुआ घाव और जख्मी अरविन्द राय के जख्म को चिकित्सक द्वारा गंभीर प्रकृति का कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म खोपड़ी के बाएं पार्श्विव क्षेत्र पर 7.5 सेमी x 0.5 सेमी x त्वचा की गहराई का फटा हुआ घाव पाया गया है और उक्त जख्म उसके शरीर के संवेदनशील अंग पर है।

अतः मामले के तथ्यों एवं उन पर लगाये गये आरोप की गंभीरता को देखते हुये आवेदक राज कुमार पेसर–नागेन्द्र राय को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक **सतीश राय पेसर–सत्येन्द्र राय एवं सत्येन्द्र राय उर्फ सत्येन्द्र कुमार पेसर–चन्द्रद्वीप राय** का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

आदेश पर नियत की तिथि	30.03.2026
आदेश की तिथि	30.03.2026
अपलोड करने की तिथि	01.04.2026
अपलोड करने वाले	प्रेम रंजन कुमार सिंह, आशुलिपिक

Web Copy Not Official